Navbharat Times (Hindi Edition of Times of India) – 06 Jan, 2007 – Page 4, column 5

धारा 498ए के दुरूपयोग से पतियों की जान आफत में

नई दिल्ली (स) : दहेज कानूनों ने पतियों और उनके परिवार वालों का जीना दूभर कर दिया है। आपीसी की धारा 498ए को 1983 में यूं तो महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए बनाया गया था लेकिन दहेज प्रताड़ना की आड़ में बहुत सी महिलाएं इसका ऐसे दुरूपयोग कर रही हैं जैसे उनके हाथ ब्रहमास्त्र लग गया हो। यह कहना है www.498a.org की सदस्य डॉ अनुपमा सिंह का। दरअसल यह उन लोगों का संगठन है जो दहेज कानूनों के दुरूपयोग का शिकार हो चुके हैं।

www.498a.org के तत्वावधान में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनैशनल सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पीडितों की व्यथा बयान करते हुए डॉ अनुपमा सिंह ने कहा कि कानून की धारा 498ए ने वास्तव में बहुत सी पीडित महिलाओं की मदद की, लेकिन कई मामलों में महिलाओं ने घरेलू मामले में अपना पक्ष मज़बूत करने और ससुराल वालों से बदला लेने के लिए इस धारा का गलत इस्तेमाल किया। दरअसल यह तब होता है जब वैवाहिक रिश्ता ठीक से निभ नहीं पाता। ऐसे में ही महिलाएं इस कानून को पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार वैवाहिक संबंधों की टूटन के वास्तविक कारण को समझ नहीं पाई बल्कि उसने इसे सुधारने के लिए दंडात्मक उपायों का सहारा ले लिया। इस धारा के दुरूपयोग ने एनआरआई पतियों को भी लपेट लिया। उन्होंने बताया कि इंटरपोल से समझौता होने की वजह से अकेले आंध्र प्रदेश से ही 300 पतियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और 29 के खिलाफ प्रत्यर्पण के नोटिस ज़ारी हो चुके हैं।